





(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पीपलू
दशरथ सिंह वगै० बनाम प्रताप सिंह वगै०
किस्म मुकदमा-वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा
प्रकरण संख्या /// सन् 2024

2024/238

तारीख हुवा	हुम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
24/24	<p>पत्रावली रिपोर्ट होकर पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। मुताबिक रिपोर्ट उक्त आराजीयात को लेकर प्रार्थना/केवियटर श्री प्रतापसिंह पुत्र भंवर सिंह व अरुण सिंह पुत्र प्रतापसिंह द्वारा केवियट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है। केवियटर की ओर से अधिवक्ता श्री नन्दकिशोर शर्मा ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। केवियट प्रार्थना पत्र मूल वाद के साथ संलग्न हो। शेष प्रतिवादीगण की तलबी जारी होकर पत्रावली दिनांक 08.08.2024 को पेश हो।</p> <p> उप खण्ड अधिकारी पीपलू (टॉक)</p> <p>8/8/24</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वकील/प्रार्थना/उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में बरस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली तल आदेशिका अनुसार दिनांक 20/8/24 को पेश हो।</p> <p></p> <p>20/8/24</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वकील/प्रार्थना/उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में बरस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली तल आदेशिका अनुसार दिनांक 17/9/24 को पेश हो।</p> <p></p> <p>17/9/24</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वकील/प्रार्थना/उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में बरस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली तल आदेशिका अनुसार दिनांक 08.10.24 को पेश हो।</p> <p></p> <p>08.10.24</p>	

प्रमाणित किया है। अधिकार बारी/प्रमाणित
 अधिकार/सीओ साहब राजकार्य में ब्यक्त
 अधिकार पर/स्थानान्तरित होने के कारण
 प्रमाणित न आधिकार अनुसार दिनांक
 02/11/2024 को है।
 Ragh

01/11 प्रमाणित चेष हुई। अधिकार बारी उपरिपत्र/परिपत्र
 खंडा 03 न 04 की ओर से अधिकार बारी नदरिपत्र
 शर्त व शर्तों की विचार उपर से नदरिपत्र
 प्रमाणित न आधिकार अनुसार दिनांक
 दिनांक 14.11.2024 को चेष हो।
 Ragh

14/11 प्रमाणित चेष हुई। अधिकार बारी/प्रमाणित
 उपरिपत्र/सीओ साहब राजकार्य में ब्यक्त
 अधिकार पर/स्थानान्तरित होने के कारण
 प्रमाणित न आधिकार अनुसार दिनांक
 13.12.2024 को चेष हो।
 Ragh

13/12 प्रमाणित चेष हुई। अधिकार बारी/प्रमाणित
 उपरिपत्र/सीओ साहब राजकार्य में ब्यक्त
 अधिकार पर/स्थानान्तरित होने के कारण
 प्रमाणित न आधिकार अनुसार दिनांक
 14.12.2024 को चेष हो।
 Ragh

14/02 प्रमाणित चेष हुई। उपरिपत्र अधिकार बारी उपरिपत्र/परिपत्र
 चेष हो। अधिकार बारी उपरिपत्र/परिपत्र
 दिनांक 21.02.2025 को चेष हो।
 Ragh

21/02 प्रमाणित चेष हुई। उपरिपत्र अधिकार बारी उपरिपत्र/परिपत्र
 चेष हो। अधिकार बारी उपरिपत्र/परिपत्र
 दिनांक 28.02.2025 को चेष हो।
 Ragh

28/02 प्रमाणित चेष हुई। अधिकार बारी/प्रमाणित
 उपरिपत्र/सीओ साहब राजकार्य में ब्यक्त
 अधिकार पर/स्थानान्तरित होने के कारण
 प्रमाणित न आधिकार अनुसार दिनांक
 30.04.25 को चेष हो।
 Ragh

30/04 प्रमाणित चेष हुई। अधिकार बारी/प्रमाणित
 उपरिपत्र/सीओ साहब राजकार्य में ब्यक्त
 अधिकार पर/स्थानान्तरित होने के कारण
 प्रमाणित न आधिकार अनुसार दिनांक
 01.07.25 को चेष हो।
 Ragh

अदालत

मुकाम

दशरथ सिंह

बनाम

प्राणपति

मुकदमा

नं

111

सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/25	पत्रावली पेश हुई उक्त पत्रावली (अधिकारवादी) उक्त पत्रावली वास्तुतः तमकीयात दिनांक 16-9-25 को पेश हुई।	
27/25	<p>08/25 प्राचीन पत्र बाद में वादीगण बिट्टो बिट्टे जाने बानत प्रस्तुत होने पर पत्रावली आप दिनांक को पेश हुई। अधिकारवादी प्राचीन/वादी ने प्रा.पत्र प्रस्तुत कर कथन किया उक्त अन्यायी प्रकार में पक्षकारण के बीच राजीनामा हो चुका है। पक्षकारण प्रकार को उक्त आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः बाद वादी बिट्टो किये जाने बानत हेतु मिसल तलज कर बिट्टो दिया जावे।</p> <p>पत्रावली व प्रस्तुत प्रा.पत्र का अनुमोदन दिया गया। प्रस्तुत प्रा.पत्र स्वीकार किया जाकर बाद वादीगण इसी स्तर पर बिट्टो दिया जाता है। पत्रावली निमित्त शुमार होकर दफ्तर दायिम हो एवं नियमानुसार नम्बर के क्रम है।</p> <p style="text-align: center;">A</p> <p style="text-align: center;">उप खण्ड अधिकारी धीपलू (टॉक)</p>	